



कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी (मध्यप्र.)

फोन नं० 07572-237391, ई-मेल heggcitahos@mp.gov.in

(नेक द्वारा "B" ग्रेड प्राप्त)



क्र./1278 /स्था./शा.क.म./2022

इटारसी, दिनांक – 13.09.2022

प्रति,

आई.टी. सेल प्रभारी


कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. शासन,

आई.टी. सेल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय :- पुस्तकालय में पुस्तकें एवं जर्नल्स क्रय करने हेतु निविदा विज्ञप्ति विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित करवाने बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी में 2022-23 के लिए विभिन्न मदों में (अनुसूचित जाति/जनजाति बुक बैंक योजना सहित) प्राप्त अनुदान से पुस्तकें क्रय किया जाना है।

संलग्न – पुस्तकों हेतु निविदा विज्ञप्ति।

  
डॉ. आर.एस. मिश्रा  
Govt. प्राचार्य College  
Itarsi



कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी (म०प्र०)

फोन नं० 07572-237391, ई-मेल heggcitahos@mp.gov.in

(नेक द्वारा "B" ग्रेड प्राप्त)



क्र. / 1279 / स्था. / शा.क.म. / 2022

इटारसी, दिनांक – 13.09.2022

## निविदा विज्ञप्ति

विषय— पुस्तकें एवं शोध पत्रिकाएँ (जर्नल्स) क्रय करने हेतु निविदाओं का आमंत्रण।

महाविद्यालयीन पुस्तकालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र, वाणिज्य, पी.जी.डी.सी.ए. एवं फैशन डिजायनिंग में पुस्तकें एवं शोध पत्रिकाएँ (जर्नल्स) विभिन्न मयों में क्रय की जाना है। अतः पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक अपनी निविदायें निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए सीलबंद लिफाफे में इस निविदा विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपराह्न 05 बजे तक महाविद्यालय में प्राचार्य कार्यालय तक पहुँचा दें।

क्रं.	बिन्दु	देय छूट (प्रतिशत में)
1	पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें (हिन्दी/अंग्रेजी)	
2	संदर्भ ग्रंथ	
3	शासकीय प्रकाशन	
4	स्वयं के प्रकाशन	
5	शासकीय नियमों की पुस्तकें	
6	विदेशी प्रकाशन	
7	रिसर्च जर्नल्स	
8	ई-बुक्स, जर्नल्स इत्यादि	
9	अन्य	

शर्तें :-

- विदेशी मुद्रा (पौण्ड, डालर इत्यादि) की भारतीय मुद्रा में कटौती की दर, छूट (डिस्काउंट) का स्पष्ट उल्लेख करें।
- एफ.ओ.आर. का वहन पुस्तक विक्रेता को करना होगा।
- क्रय आदेश की आपूर्ति आदेश प्राप्ति होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर करनी होगी। अन्यथा क्रय आदेश रद्द करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
- आपके भाव पत्र 30 जून, 2023 तक वैध रहेंगे।
- पुस्तकों से संबंधित निविदाएँ स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार प्राचार्य का होगा। पुस्तकों की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर पुस्तकों की प्राप्ति के बाद भी क्रय आदेश निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में कोई भी विवाद होने पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

*Signature*

डॉ. आर.एस. मेहरा

Govt. प्राचार्य College

Itarsi